राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/कोषालय–39 / 5478 दिनांक 09/12/24

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– असफल ई–भुगतान राशि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी विभागों / कार्यालयों के बिलों को कोषालयों से पारित किये जाने के पश्चात आर.बी.आई. ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। ई–कुबेर पोर्टल द्वारा जिन बिलों में कार्मिकों / बेनिफिशरी के बैंक खाते का विवरण गलत होता है, उनका भुगतान ई–कुबेर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को बैंक खाते का विवरण ठीक करते हुए पुनः ई–एडवाईस प्रस्तुत करनी होती है अन्यथा 60 दिनों के पश्चात अथवा वित्तीय वर्ष समाप्ति पर इन असफल ई–भुगतानों की राशि को माईनस एक्सपेन्डिचर में बुक कर दिया जाता है।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस संबंध में माह अगस्त 2024 की समाप्ति पर असफल ई–भुगतान की राशि ₹ 37.99 करोड़ बकाया होने को गंभीरता से लिया गया है। ई–असफल भुगतान की राशि में उत्तरोतर वृद्वि होना भी गंभीर विषय है।

अतः इस संबंध में आपके विभाग एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारियों को सभी कार्मिकों / बेनिफिशरी के बैंक खाते की डिटेल का पुनः सत्यापन कर सही बैंक डिटेल सिस्टम में सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित कराये जाने का अनुरोध है। साथ ही वर्तमान में आपके विभाग / अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित बकाया असफल ई–भुगतानों का अविलम्ब समायोजन कराये जाने हेतु निर्देशित कराने का भी श्रम करावें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/कोषालय–39 / 5479–80 दिनांक 09/12/24
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से किये जा रहे संव्यवहारों में हो रहे रिजेक्टेड संव्यवहारों की संख्या में कमी लाये जाने के संबंध में समुचित मार्गदर्शन प्रदान कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)